झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–256 / 2019

शंभू नाथ सिंह ..... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड अपने अध्यक्ष के माध्यम से और अन्य ..... विपक्षी गण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताव के0 गुप्ता**

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री के0के0 सिंह, अधिवक्ता

विपक्षी गण के लिए : श्री राजीव रंजन, अधिवक्ता

04 / दिनांकः15वीं जनवरी, 2020

1. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि एल0पी0ए0 सं0–108 / 2015 में पारित दिनांक 08.10.2018 के निर्णय के आलोक में 25,000 / – (पच्चीस हजार) रूपये सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, न्याय सदन, डोरण्डा, राँची के समक्ष जमा कर दिया गया है। जमा रसीद संलग्न की गई है।

2. ओ0पी0 के विद्वान अधिवक्ता ने इसका विरोध नहीं किया है।

3. सुना। एल0पी0ए0 सं0–108 / 2015 में पारित दिनांक 08.10.2018 के आदेश का तद्नुसार, अनुपालन किया गया है, इस सिविल विविध याचिका को एतद् द्वारा निपटाया गया है।

सी0एम0पी0 सं0 241 / 2019

1. यह सिविल विविध याचिका एम0ए0 सं0 316/2017 की पुनःस्थापन हेतु दायर की गई है, जो 26.10.2018 के अनुल्लंघनीय आदेश का पालन न करने के कारण 24.11.2018 को खारिज कर दी गई थी।

2. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि एम0ए0 सं0 316/2017 में पारित दिनांक 26.10.2018 के आदेश द्वारा कार्यालय द्वारा बताए गए त्रुटियों को दूर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर त्रुटियों को दूर नहीं किया जा सका था। याचिकाकर्त्ता के वकील ने अपने क्लर्क को अदालत की फीस जमा करने का निर्देश दिया, लेकिन गलती से उसे जमा नहीं किया जा सका जिसके कारण अपील खारिज हो गई।

यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्त्ता/अपीलकर्त्ता की ओर से कोई सुविचारित कमी या जानबूझकर लापरवाही नहीं की गई है, बल्कि अधिवक्ता क्लर्क द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अदालत की फीस जमा नहीं की गयी है। याचिकाकर्त्ता/अपीलकर्त्ता के पास एक अच्छा मामला है और यदि एम0ए0 सं0 316/2017 को उसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्त्ता/अपीलकर्त्ता को अपूरणीय क्षति होगी।

3. सुना। वर्तमान याचिका में बताए गए कारणों से संतुष्ट होने के कारण, एम0ए0 सं0 316/2017 को अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित करने का आदेश दिया जाता है।

4. विविध याचिका की अनुमति है।

5. कार्यालय को एम0ए0 सं0 316/2017 को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

(अमिताव के0 गुप्ता, न्याया0)